

परियोजना का नाम - जलपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सीकर के अंतर्गत रौलाखरक से लिगेर मीटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी.

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 04-12-2015 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह मेहरा वन रक्षक जैलेखवीर राजस्व विभाग की ओर से श्री जलवन्त सिंह चौधरी राजस्व उप निरीक्षक नैनी व प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सतीश चन्द्र पन्त अमीन प्रहलाद लेनि.कि. अल्मोड़ा द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार सिविल भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है। आरक्षित वन श्री 1.77 सिविल बेनाप भूमि 0.064 है, वन पंचायत भूमि 0.134 है एवं नाप भूमि 0.775 है प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से 2 गाँव व 996 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 175 वृक्षों व नाप भूमि पर शून्य वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी अल्मोड़ा प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

संयुक्त निरीक्षक
रानीखेत

(देवेन्द्र सिंह मेहरा)
वन रक्षक जैलेखवीर

(सतीश चन्द्र पन्त)
अमीन
प्रहलाद लेनि.कि.
अल्मोड़ा.

(अमीन प्रहलाद)
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लो. नि. वि.
अल्मोड़ा.

(वल्लभ मिश्रा)
कहायत
रा.प्र.नि. नई
त-संयुक्त

अधिसारी अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लो. नि. वि.
अल्मोड़ा.

रामपाल सिंह
वर देरीग

वन विभागाधिकारी
श्रीधरवद वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)

उप प्रांतीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा